

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
निदेशालय, (एनएचएम) स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

No. F. 20 (119-III)/NHM/HRD/2019/ 1119

Date: 8/3/19

आदेश

एनएचएम अन्तर्गत संविदा आयुष चिकित्सक पद पर कार्यरत संविदा कार्मिक का रिलोकेशन पॉलिसी आदेश क्रमांक 499 दिनांक 02.03.2010 के बिन्दु संख्या 1(iv) में निहित प्रावधानों के तहत निम्नानुसार तुरन्त प्रभाव से रिलोकेशन किया जाता है:-

क्रसं.	नाम व पदनाम	रिलोकेशन कहां से	रिलोकेशन कहां को
1	डॉ. वर्षा आर्य आयुष चिकित्सक	पीएचसी बलून्दा, ब्लॉक जैतारण, पाली	पीएचसी जखराना, ब्लॉक बहरोड़, अलवर

(डॉ. समित शर्मा)  
विशिष्ट शासन सचिव  
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक एनएचएम जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम जयपुर।
5. सहायक निदेशक, आयुष, एनएचएम जयपुर।
6. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संबंधित जोन।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिले।
9. वर्णित संविदा कार्मिक को पालनार्थ।
10. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव  
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम